



इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

INDIRA GANDHI NATIONAL TRIBAL UNIVERSITY, AMARKANTAK

(A Central University established by an Act of Parliament)
(संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांक/इ.गां.रा.जजा.वि.वि./स्था./2021/05

दिनांक: 10.06-2021

प्रति,

श्री नरेन्द्र सिंह मरावी जी,
आत्मज स्व. श्री लोकन सिंह मरावी,
ग्राम किरगी, पोस्ट राजेन्द्रग्राम,
तहसील पुष्पराजगढ, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
दूरभाष- 9424634292, ईमेल- narendrasinghmaravi@gmail.com]

विषय: विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्य नामित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्र. NCST-16014(MHRD)/1/2021-RU-III दिनांक 27/04/2021।

महोदय,

विषयांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, मध्यप्रदेश भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम अंतर्गत स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के परिनियम-11(9) में निहित प्रावधान अंतर्गत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के एक प्रतिनिधि के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए हर्ष व्यक्त किया है। कार्यपरिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल दिनांक 08/06/2021 से तीन (3) वर्ष का होगा।

120
8/6/2021
(पी. सिलुवैनाथन)
कुलसचिव एवं
सचिव, कार्यपरिषद

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

कुलपति जी के निजी सचिव

shilpa